

पत्रांक :- 3/यो01-11/2025 (उ0शि0) 187/७५६

झारखण्ड सरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय  
सलाहकार से  
परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
पो0-हिन्, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 05/12/2025/

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme) के क्रियान्वयन राशि रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय संकल्प ज्ञापांक 355 दिनांक 22.02.2025  
आदेश :- स्वीकृत।

उच्च और तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

इसी क्रम में राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से "झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme)" लागू किया जाना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने से उन्हें विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिससे बेहतर कार्य करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु वे प्रेरित होंगे। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 355 दिनांक 22.02.2025 के आलोक में "झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme)" लागू किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BU- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु सहायता अनुदान, लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र का बजट उपबंध है।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme) के क्रियान्वयन हेतु राशि रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष- BU- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 79- सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) (विपत्र कोड- 21S220203102BU000679) (स्कीम कोड-2172) के अंतर्गत होगा।"

5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक-21.09.23 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	-	-

9

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के कार्यपालक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे एवं कार्यपालक निदेशक उक्त राशि को चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

9. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के कार्यपालक निदेशक द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी करेंगे।

10. उक्त योजना का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा।

11. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


13. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।


विश्वासभाजन,

  
4.12.25  
(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-11/2025 (उ0शि0) 187/945/राँची, दिनांक- 05/12/2025


प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


  
4.12.25  
(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-3/यो01-11/2025 (उ0शि0) 187/945/राँची, दिनांक- 05/12/2025

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची/प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
4.12.25  
(राहुल कुमार पुरवार)  
सरकार के प्रधान सचिव।

  
(राम सूचित कुमार)  
प्रशाखा पदाधिकारी

  
(सुधीर कुमार)  
अवर सचिव

  
(सुधीर बाड़ा)  
निदेशक, उच्च शिक्षा